<u>न्यायालय सिविल जज (सी0डि0),लखनऊ।</u>
<u>मूल वाद संख्या 2051/2018</u>
<u>श्रीमती अराधना शुक्ला बनाम प्रजापति त्रिवेदी आदि</u>

<u>दिनांक–30.01.2020</u>

पुकार पर पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आए। आज सेन्ट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ का पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र सी–54 (आपत्ति) , सी–55, व सी–56 (प्रति) प्रस्तुत किए गए। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र ए–52 तथा सी–51 प्रस्तुत किए गए। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा पृष्ठांकन करते हुए दिनांक 02.03.2020 की तिथि नियत किए जाने की प्रार्थना की गयी। न्यायालय द्वारा पक्षकारों का ध्यान मा0 उच्च न्यायालय के जनरल लेटर संख्या–161 चतुर्थ–एच–14/2018 दिनांक 31.05.2018 की ओर आकर्षित कराया गया तो भी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 02.03.2020 तिथि नियत किए जाने पर बल दिया गया। तद्नुसार पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना के दृष्टिगत न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2020 नियत की जाती है और साथ ही साथ यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त तिथि में कोई भी स्थगन दिया जाना संभव नहीं होगा और उक्त तिथि पर प्रार्थना पत्र ग–6/सी–32/सी–46/सी–49/ए–52/सी–55 इत्यादि समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जायेगा। पक्षकार प्रातः 10:30 बजे न्यायिक कार्य हेतु/उक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु उपस्थित आवें। प्रार्थना पत्र सी–51 पर न्यायालय आदेश दिनांकित 20.01.2020 का प्रभाव नियत तिथि तक बढ़ाया जाता है।

सिविल जज (सी0डि0),
लखनऊ।